

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मिश्र के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01 व थाना करनैलगंज पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार से 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती सरोजना देवी पत्नी स्व० बाबूलाल नि० खिरिया बनपुरवा थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-433/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.09.2023

दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-168/2023, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संतोष व अभियुक्ता- मईता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या किया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

01. मईता देवी उर्फ गायत्री पत्नी संतोष निवासी ग्राम पकड़ीयहवा मौजा औराटार थाना निचलौल जनपद महाराजगंज।
02. संतोष पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम पकड़ीयहवा मौजा औराटार थाना निचलौल जनपद महाराजगंज।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-168/2023, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 संजीव कुमार सिंह मय टीम थाना को0नगर, गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस - नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.09.2023

थाना वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत हुई हत्याकाण्ड का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 21.9.23 को थाना वजीरगंज पर आवेदक मनीष कुमार पुत्र तिलक राम निवासी ग्राम केवटहिया देवी नगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ने सूचना दिया की मेरे पिता तिलकराम पुत्र कन्हैयालाल जो शराब पीने के आदि है, दिनांक 20/09/23 की रात में मेरे माता-पिता दोनो छप्पर में सो रहे थे। उसी दौरान मेरे पिता तिलकराम ने मां सुशीला देवी को चाकू और लोढ़े से मार पीट कर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के प्रवेक्षण में घटना में संलिप्त अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर हत्या का वांछित अभियुक्त तिलकराम को ऊंट घाट से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कि विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. तिलकराम पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम देवीनगर केवटहिया थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-432/23, धारा 498A/302 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष अभय सिंह मय टीम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।